न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3868–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला नीमच, प्रकरण कमांक 8/अ–13/12–13

.....

1–श्रीमती कमलाबाई पति प्रेमचन्द बावरी
2–अम्बालाल पिता प्रेमचन्द्र बावरी
निवासी ग्राम मालखेड़ा तहसील व जिला नीमच

.....आवेदकगण

विरूद्ध

पन्नालाल पिता उदाजी धाकड़
निवासी ग्राम मालखेड़ा तहसील व जिला नीमच

.....अनावेदक

श्री के0सी0बंसल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पंकज जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला नीमच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नीमच के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरूखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 547 रकबा 0.110 हेक्टेयर व सर्वे कमांक 548 रकबा 1.350 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि है । अनावेदक भूमि पर जाने के लिये ग्राम बरूखेडा से मालखेड़ा जाने वाले कच्चे गाडी गडार रास्ते से होकर भूमि सर्वे कमांक 546 की मेड पर से होकर आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 547 एवं 548 पर 50 वर्ष से अपनी बैलगाड़ी, कृषि औजार, ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण

अपनी भूमि पर ले जाकर कृषि कार्य कर रहे थे । उक्त रास्ते को आवेदकगण द्वारा अबरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–13/12–13 दर्ज कर दिनांक 12–8–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश आवेदकगण को दिये गये । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष अपनी भूमियों पर ग्राम मालखेड़ी सिगोली की पक्की सड़क से होकर पश्चिम दिशा से मुड़कर खेमराज की भूमि तथा मदनलाल व दुलीचन्द के बीच के खेत की मेढ़ से होकर जाते थे । उक्त रास्ते को मदनलाल व दुलीचन्द द्वारा फाड़कर बन्द कर दिया गया है । चूँकि वे प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये अनावेदक, आवेदक के खेत में से रास्ता चाहा रहा है, जिसे देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि 50 वर्ष से अनावेदक पूर्व रास्ते का उपयोग कर रहा था और आवेदक की भूमि में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है । इस ओर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में कोई ध्यान नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं किया गया है और पूर्व से ही काँटों की बॉगड़ लगी हुई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा तर्क के दौरान जो रास्ता बतलाया गया है, वह रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है और अनावेदक द्वारा उसी रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है, जिस रास्ते को आवेदकगण द्वारा अबरूद्ध किया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा 50 वर्ष पूर्व में कय की गई थी । साथ ही आवेदकगण के पूर्व भूमिस्वमी द्वारा जो कि अनावेदक के रिश्तेदार है, ने भी भूमि कय की थी । बाद में रिश्तेदार द्वारा भूमि आवेदकगण को विकय कर दी गई और आवेदकगण तब से कृषि कार्य कर रहे हैं, परन्तु रास्ते के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि 50 वर्ष पूर्व एक ही व्यक्ति की भूमि होने से रास्ते का जो

अधिकार आवेदकगण को प्राप्त है, वही अनावेदक को भी प्राप्त है और आवेदकगण द्वारा जानबूझकर रास्ता रोका गया है ।

(3) आवेदकगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि जानवरों के चारे आदि की सुरक्षा हेतु कॉटो की बॉगड़ लगाई गई है । इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक का रास्ता अबरूद्ध किया गया है ।

(4) अनावेदक के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर वैकल्पिक रूप से रास्ता खोले जाने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(5) आवेदकगण द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने में किस विधि का उल्लघंन किया गया है ।

तर्क के समर्थन में 1969 आरएन 222, 1995 आरएन 320, 1973 आरएन 254 व 519, 1963 आरएन 141, 1974 आरएन 400 व 420, 1971 आरएन 166 तथा 1972 आरएन 190 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करने के उपरांत मौके की स्थिति देखकर तात्कालिक सहायता के रूप में अंतरिम रास्ते को खोले जाने का आदेश दिया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है तथा वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में इस स्टेज पर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.2013 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का दो माह में अंतिम रूप से निराकरण करें । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर